न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील सख्याः–67/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00065)**

1. संतरा देवी पत्नी गजानन्द, जाति गुसाई निवासी दांतड़ा, तहसील दूदू जिला जयपुर, राजस्थान।

**––अपीलान्ट**

बनाम

1. श्रीमती सम्पत्ति देवी पत्नी सोहन, जाति बलाई निवासी दांतड़ा, तहसील दूदू जिला जयपुर, राजस्थान।
2. श्रीमती लक्ष्मा पत्नी बन्ना, जाति बलाई निवासी दांतड़ा, तहसील दूदू जिला जयपुर, राजस्थान।
3. श्रीमती पांचूड़ी पत्नी लक्ष्मण, जाति मेघवाल निवासी उपर का बास मेघवालों का मौहल्ला किनसरिया, तहसील परबतसर जिला नागौर, राजस्थान।
4. तहसीलदार दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान।

**––रेस्पोडेन्ट्स**

निर्णय

**दिनांकः 07.10.2019**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 08.03.2017 (प्रकरण संख्या 76/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार दूदू से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर तहसीलदार दूदू के द्वारा बिना मौके पर गये, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट के अनुचित प्रभाव में आकर मौके के विपरित तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2017 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.03.2017 पारित करते समय अपीलार्थी के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया उस पर कतई गौर नही किया गया, ना ही निगरानीकार के कब्जे के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर निस्तारण हेतु प्राप्त किये, प्रकरण में फौरी तौर पर समरी ट्रायल करते हुऐ निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा यह दर्ज किया गया कि खसरा नम्बर 41 रकबा 1.26 हैक्टयर में काश्त हेतु कुऑ खुदवाया गया है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है जबकि अपीलान्ट के द्वारा खसरा नम्बर 41 रकबा 1.26 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 42 रकबा 1.09 हैक्टयर प्रस्तुत प्रार्थना

**P.T.O.**

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्र में दर्ज किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर उक्त दोनों खसरा नम्बरान का ना तो सीमाज्ञान करवाया ना ही मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई इस कारण वास्तविक स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ सकी और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 42 के नुमाईशी क्रेता है रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त भूमि पर ना तो कब्जा है ना ही काश्त है जबकि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 1. 26 हैक्टयर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है जिसको रेस्पोडेन्ट की आड़ में भूमाफिया लोग अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के आधार पर कब्जा काश्त से वंचित व बेदखल करना चाहते है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.03.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम दांतड़ा तहसील दूदू जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 के खाता संख्या नया 71 पुराना 67 के खसरा संख्या 39/2 की खातेदारी की खातेदारी भूमि हरजी पुत्र बोदू जाति हरिजन् के नाम दर्ज थी, हरजी पुत्र बोदू हरिजन ने उक्त भूमि का बैचान जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2003 (पंजियन दिनांक 01.05.2003) द्वारा श्रवण पुत्र नारायण जाति बलाई निवासी ग्राम त्योद तहसील किशनगढ जिला अजमेर को कर दिया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 179 विक्रेता हरजी के स्थान पर क्रेता श्रवण के नाम नियमानुसार दिनांक 07.02. 2004 को तस्दीक किया गया था इसके पश्चात् श्रवण पुत्र नारायण की मृत्यु हो जाने के कारण उसका विरासत का नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 06. 04.2015 को श्रवण पुत्र नारायण के बजाय उसकी पत्नी भंवरी पत्नी श्रवण के नाम नियमानुसार तस्दीक किया गया था इसके पश्चात् खातेदार भंवरी ने उक्त खातेदारी भूमि का बैचान जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.04. 2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को कर दिया गया था व मौके पर उसी समय उक्त आराजी का कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को संभला दिया था तथा खरीद की दिनांक से आज तक विवादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा काश्त निरन्तर व लगातार चला आ रहा है, यहा पर उल्लेखित किया जाना भी आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पूर्ववर्ति उक्त वर्णित विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2003 के अन्तर्गत पुराने खसरा नम्बर 39/2 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है इसके पश्चात् उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 39/2 के नये खसरा नम्बर 42 बने है, पूर्ववर्ति नक्शा ट्रेस के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के खसरा संख्या 39/2 के राजस्व नक्शा ट्रेस में बिलकूल सही तरमीम की गई थी लेकिन सैटलमेन्ट कर्मचारियो की गलती से जो हाल नक्शा ट्रेस बनाया गया था के अन्तर्गत पुराने खसरा संख्या 39/2 के नये

संभागीय आयुक्त जयपुर

खसरा संख्या 42 के स्थान पर खसरा नम्बर 41 की तरमीम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्शायी गई थी जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 39/2 रकबा 1.09 हैक्टयर के नये हाल खसरा संख्या 42 की क्षेत्रफल 1.09 हैक्टयर बने है तथा खसरा संख्या 39/1 क्षेत्रफल 1.26 हैक्टयर के हाल खसरा नम्बर 41 रकबा 1.26 हैक्टयर बने है इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही थी लेकिन सैटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती के कारण सिर्फ मात्र हाल नक्शा ट्रेस में खसरा संख्या 42 के स्थान पर खसरा नम्बर 41 दर्शाया गया था तथा खसरा संख्या 41 के स्थान पर खसरा संख्या 42 दर्शा दिया गया था जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का पूर्ववर्ति खातेदार विक्रेताओं का खसरा नम्बर 39/2 पर ही कब्जा काश्त प्रारम्भ से आज तक निरन्तर व लगातार चला आ रहा है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने उक्त हाल नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती हेतु एक प्रकरण प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु आदेश किया गया जो कि आदेशिका दिनांक 16.08.2016 से स्पष्ट है कि उक्त आदेशिका अपीलान्ट संख्या 1 ने आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय आदि में चैलन्ज नही किया तथा उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20.09.2016 के पैरा संख्या 8 से स्पष्ट रूप से अंकित है। उन्होने आगे कथन किया है उक्त वर्णित तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं तहसीलदार दूदू के जवाब दावे के पैरा संख्या 4 व 8 के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 78 के आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 1.09 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम दांतड़ा तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 82 के आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 1.26 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम दांतड़ा, तहसील दूदू स्थित जो अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी माना है कि पूर्व जमाबन्दी में खसरा नम्बर 39/1 अपीलान्ट के एवं खसरा नम्बर 39/2 रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज था जो साबिक नक्शा में अलग–अलग प्रदर्शित है उन्होने अपनी रिपोर्ट में यह भी माना है कि दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान के हाल खसरा नम्बरान का नवीन नक्शा शीट में अंकन करते समय नवीन खसरा नम्बर 41 के स्थान पर नवीन खसरा नम्बर 42 व नवीन खसरा नम्बर 42 के स्थान पर खसरा नम्बर 41 अंकित हो गया है, जो दुरूस्तनीय है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2017 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर